

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8150 / 2778-79

दिनांक: 21-11-17

सेवा में

1. वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक
2. वन मण्डल अधिकारी, सोनीपत

विषय: Diversion of 0.947 ha. of forest land in favour of Executive Engineer Provincial Division No. 2 PWD B&R Br. Sonipat for widening and strengthening of Rohat to Jatheri road Km. 0 to 3.909 Road ID 6008, under forest division and District Sonipat, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/28862/2017

संदर्भ: वन संरक्षक का पत्र क्रमांक 1851 दिनांक 7-11-2017 ।

—

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियों पाई गई हैं जिन्हें दूर करके सही सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भेजें तथा सम्बन्धित/अपेक्षित प्रपत्र भी 3-3 प्रतियों में भेजें :-

1. इस प्रस्ताव में 485 पौधे नष्ट होने हैं । इसलिए $485 \times 2 = 970$ पौधे अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के तहत लगाने के लिए सी0ए0 स्कीम में राशि शामिल की जाए । पौधों का डैमेज चार्जिज नहीं लिया जाना है । उक्त अनुसार सी0ए0 स्कीम पुनः तैयार करके भेजें व ऑनलाईन पार्ट-I में अपलोड भी की जाए ।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण के लिए सड़क के साथ की सुरक्षित वन पट्टी भारत सरकार को मान्य नहीं है । अतः सी0ए0 के लिए सड़क के साथ की सुरक्षित वन पट्टी के स्थान पर अन्य वन क्षेत्र का चयन करके तदनुसार सी0ए0 साईट मैप व भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र भेजें । सी0ए0 साईट के Geo-coordinates सहित के0एम0एल0 फाईल व डी0जी0पी0एस0 मैप पार्ट-II में अपलोड किए जाएं और हस्ताक्षरित मूल प्रतियों इस कार्यालय को भेजें ।
3. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश के मूल (original) प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति प्रयोक्ता एजेंसी से पार्ट-I में एडीशनल डाक्यूमेंट के तहत अपलोड करवाई जाए और मूल प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजें ।

वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ0सी0)
हरियाणा, पंचकुला ।

21/11/17
[Signature]